अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2023/22 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

श्री .... श्री ....

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

मदन बनाम गुरमन वगैरह (22/2023)

24.1.23 प्रार्थना पत्र पेश हुआ। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 23.01.2023 को सुना गया।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष समस्त तथ्य छुपाते हुए एवं बिना प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण को पक्षकार मुर्तिब किये वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक तरफा में आदेश दिनांक 04.01.2023 प्राप्त कर लिया है जिसकी आड़ में अप्रार्थी संख्या 01, व 02 प्रार्थी के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2018 एवं माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.01.2023 के प्रभाव को निष्प्रभावी करने पर आमादा है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी उक्त आदेश दिनांक 04.01.2023 से प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार होने एवं उसके हक अधिकारों पर कुठाराघात होने से प्रार्थी को उक्त आदेश दिनांक 04.1.2023 के विरूद्ध माननीय न्यायालय मं अपील प्रस्तुती की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 के विरूद्ध न्यायालय में अपील प्रस्तुती की अनुमति न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रस्तुत अपीलांट का किसी प्रकार का हित निहित नही है, चूंकि प्रस्तुत वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व अभिलेख के अनुसार अपीलांट खातेदार काश्तकार दर्ज नही है। वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 में वर्णित खातेदारान को पक्षकार कायम किया जाकर राजस्व वाद धारा 53 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2023 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने के आदेश पारित किये है। विभाजन हेतु राजस्व वाद में एकमात्र अभिलिखित खातेदार ही आवश्यक पक्षकार है, प्रस्तुत राजस्व अभिलेख में अपीलांट सहखातेदार नही होने से उसके हक अधिकारों पर किसी प्रकार का कुठाराघात होने बाबत् वर्णित कथन अस्वीकार है ना ही राजस्व वाद में पक्षकार कायमी के बिना विधिक प्रार्थना पत्र के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की अनुमति प्रदान की जा सकती है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष प्रस्तुत अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट जिनके स्वयं के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 551 व 557 में निहित उनके हिस्से बाबत् पंजीकृत बैनामा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है के तथ्यों को छिपाते हुए विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 04.01.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है जो राजस्व वाद में पक्षकार कायमी के बिना पोषणीय नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. प्रस्तुत कर कर निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अज...

22/2022/225 मान ५/८ गुरमन

तारीख हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

पेशी श्री महेन्द्र सिंह चौहान श्री SP जोशी, अभि० अ०

अवलोकन न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 293/2018/223 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.01.2023 में वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 551 व 557 बाबत् निर्णय किया गया है, प्रार्थी/अपीलांट उक्त अपील में बतौर रेस्पोडेन्ट संख्या 03 में संयोजित था तथा प्रस्तुत प्रकरण भी वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 551 व 557 बाबत् होने से प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. को स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. को स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

तत्पश्चात स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि विवादित आराजीयात बाबत् पूर्व में प्रस्तुत राजस्व वाद एवं उससे सम्बन्धित अपील की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को होने के बावजूद तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.01.2023 के द्वारा वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील के निस्तारण की जानकारी सभी पक्षकारों को होने के बावजूद भी अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 02.01.2023 के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा विवादित आराजीयात बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आदेश दिनांक 04.01.2023 प्राप्त कर लिया जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर ने गैर कानूनी रूप से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज कर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का आदेश पारित कर दिया, जिसकी आड़ में अप्रार्थी संख्या 01, व 02 प्रार्थी के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2018 एवं माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.01.2023 के प्रभाव को निष्प्रभावी करने पर आमादा है, जिसमें यदि वे सफल हो गए तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी तथा प्रार्थी द्वारा वाद एवं अपील प्रस्तुती का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सनतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रस्तुत अपीलांट का किसी प्रकार का हित निहित नही है, चूंकि प्रस्तुत वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व अभिलेख के अनुसार अपीलांट खातेदार काश्तकार दर्ज नही है। वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 में वर्णित खातेदारान को पक्षकार कायम किया जाकर राजस्व वाद धारा 53 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2023 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने के आदेश पारित किये है। विभाजन हेतु राजस्व वाद में एकमात्र अभिलिखित खातेदार ही आवश्यक पक्षकार है।प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी संख्या 01, वादग्रस्त आराजीयात का सहखातेदार होने से उनके पक्ष में

---लगातार.

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

225 निगरानी 4/5 25-4-5

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

श्री महेन्द्र सिंह चौहान श्री S P मीणा 1, रफिक अहमद 1-2

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

है एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी के पक्ष में है। यदि अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में हस्तक्षेप किया जाता है तो अपूणीय क्षति प्रार्थी को होना संभावित है। अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट जिनके स्वयं के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 551 व 557 में निहित उनके हिस्से बाबत् पंजीकृत बैनामा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है के तथ्यों को छिपाते हुए विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 04.01.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है जो राजस्व वाद में पक्षकार कायमी के बिना पोषणीय नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। द्वितीयतः अपीलांट जो कि राजस्व वाद एवं राजस्व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में पक्षकार नहीं रहे तिबना राजस्व वाद में पक्षकार कायम हुए विधिक प्रार्थना पत्र के विरूद्ध अपील पोषणीय नही है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजा का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा दिनांक 04.01.2023 को अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को एक पक्षीय बहस सुनने के पश्चात अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी (06.02.2023) तक मौका ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर में स्थित विवादित आराजीयात खाता संख्या 673 के खसरा नम्बर 390 रकबा 0.2 है0, खसरा नम्बर 391 रकबा 0.16 है0, 666 रकबा 0.44 है0 भूमि पर मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है तथा चूँकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे मे अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थी को अनिवार्यत बहस करनी होगी अन्यथा एक्सं पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावे के आदेश पारित किये है अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी पेशी दिनांक 06.02.2023 में उपस्थित नहीं होकर तथा उक्त आदेश के विरूद्ध चाराजोही नहीं करने सीधे तौर पर यह अपील प्रस्तुत की है जबकि उनको अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित उक्त एक्स पार्टी अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध चाराजोही करनी चाहिए थी, उनके द्वारा नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 60 दिवस मे उभयपक्षकारान को जवाब/सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें।।

अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,पुष्कर अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण 60 दिवस में करें । अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर, पक्षकार को जवाब/बहस का समुचित अवसर देते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रमुख तीनो बिन्दुओं क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का विवेचन करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अ

22/2023/225 मई 4/1 232र्ष

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
पेशी	श्री महेन्द्र सिंह चौहान श्री राकेश अरोड़ा - 2

एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 06.02.2023 नियत है, को उपस्थित होने पाबंद किया जाता हैं पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner